अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–44/2025–2717

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक–14.6.25

विषयः– **पंचायत उप निर्वाचन 2025– वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन।**

प्रसंगः– **आयोग का पत्रांक 3151 दिनांक 18.08.2021, पत्रांक 3351 दिनांक 28.08.2021, पत्रांक 3969 दिनांक 15.09.2021 एवं पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्न प्रासंगिक पत्रांक द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदान हेतु कमीशन्ड ई.वी.एम., वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे, जिसे सुलभ सन्दर्भ हेतु संबंधित पत्र संलग्न किये गये हैं :–

क्र0 सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय
1	3151 दिनांक 18.08.2021	ई.वी.एम. की कमीशनिंग के चरण एवं कमीशनिंग के अवसर पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।
2	3351 दिनांक 28.08.2021	मतदान हेतु कमीशन्ड ई0वी0एम0 हेतु वज्रगृह तथा पोल्ड ई0वी0एम0 को रखने हेतु वज्रगृह की स्थापना के संबंध में।
3	3969 दिनांक 15.09.2021	वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन

आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का निर्देशन है, जिसमें संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना संबंधित प्रखंड मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा, संबंध निर्देश दिये गये है।

उक्त पत्र के क्रम में आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि–

1. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में भी किया जायेगा।
2. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इस बात पर स्वयं संतुष्ट हो लें कि वह अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक हो।
3. बज्रगृह पक्के मकान में अवस्थित है या नहीं इसकी जाँच करा लें।
4. बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र एक ही परिसर में अवस्थित हो।
5. बज्रगृह से मतगणना हॉल तक पदवार ई0वी0एम0 एवं मतपेटी आदि ले जाने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होने पाये। साथ ही ब्रजगृज एवं मतगणना केन्द्र पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हो।
6. वज्रगृह/मतगणना केन्द्र परिसर में आवश्यक व्यवस्था यथा–सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण एवं इंटरनेट नेटवर्क केनेक्टिवीटी सुनिश्चित की जाय।

7. मतगणना केन्द्र से संबंधित नक्शा (Map) नमूना के तौर पर संलग्न किये गये है, के अनुसार वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र योजना संबंधी नक्शा आयोग को दिनांक 18.06.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
14/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प०नि० 30–44/2025 2717 पटना, दिनांक– 14.6.25
प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
14/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प०नि० 30–44/2025 2717 पटना, दिनांक– 14.6.25
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
14/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प०नि० 30–44/2025 2717 पटना, दिनांक– 14.6.25
प्रतिलिपि : सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
14/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

पंचायत उप निर्वाचन, 2025

बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र के प्रस्ताव का प्रपत्र

जिला का नाम

क्र0	प्रखंड का नाम जिसके लिए बज्रगृह/मतगणना स्थल का प्रस्ताव है।	पंचायत का नाम	बज्रगृह/मतगणना केन्द्र का पूर्ण विवरण नाम सहित	बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र एक ही परिसर में अवस्थित है? हाँ/नहीं	आवश्यक व्यवस्था की विवरणी 1. सुरक्षा व्यवस्था 2. पेयजल 3. शौचालय 4 विद्युत व्यवस्था	अभ्युक्ति